

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक-एफ 5(2)(110)/ऑडिट कमेटी/लेखा/आईसीडीएस/2016-17

133104-136

जयपुर, दिनांक 19.07.18

समस्त उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान।


विषय:- ऑडिट कमेटी बैठक दिनांक 11.08.2017 की पालना के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर ने दिनांक 11.08.2017 को ऑडिट कमेटी की बैठक ली गई। जिसके बिन्दु संख्या 10 में निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैं :-

“ऐसे समान प्रकृति के आक्षेप जिन्हें किसी एक अंकेक्षण प्रतिवेदन यथा महालेखाकार/निरीक्षण विभाग/विभागीय आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदन में से लिया गया हो तथा उसे किसी अन्य निरीक्षण प्रतिवेदन में भी लिया गया हो तो ऐसे आक्षेपों की अनुपालना किसी एक ही निरीक्षण प्रतिवेदन में अपेक्षित मानते हुये महालेखाकार/निरीक्षण विभाग/विभागीय आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदन से हटाये जाने की कार्यवाही सक्षम स्तर से करवायी जावे।”

उक्त बिन्दु की अनुपालना में निर्देशित किया जाता है कि समान प्रकृति के आक्षेप जिन्हें किसी प्रतिवेदन यथा महालेखाकार/निरीक्षण विभाग/विभागीय आंतरिक प्रतिवेदन में ले लिया गया है। उसकी पालना करते हुये महालेखाकार/निरीक्षण विभाग/विभागीय आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन हटाये जाने की कार्यवाही सक्षम स्तर से करवाई जावे।

इसकी पालना कठोरता से सुनिश्चित की जावे।


वित्तीय सहायकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 5(2)(110)/ऑडिट कमेटी/लेखा/आईसीडीएस/2016-17

जयपुर, दिनांक 19.07.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

133137-441

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।

2. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।


वित्तीय सहायकार